(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

नारायण बनाम तहसीलदार भोपा

किस्म मुकदमा ....प्रा०पत्र.... नं0....179.... सन् 2016....

नांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
3-16	वाद / ~~प्रार्थनापत्र~~ बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 12-4-16 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
12-4-16	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी के सम्मन बाद तामिल। हुक्म तामील प्राप्त नहीं हुये। वास्ते विपक्षी के सम्मन बईसलजारह पत्रावली दिनांक 14-6-16 को पेश हो।	
14-6-16	**उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी ~~राजकार्य से बाहर है~~ / अवकाश पर हैं / पद रिक्त है।** **अतः पत्रावली दिनांक 30.8.16 को पेश हो।** **रीडर** **सहायक कलक्टर माण्डल**	
3-8-16	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी की ओर से पेशकार सरकार उपस्थित। विपक्षी की ओर से पेशकार सरकार ने जवाब पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया। नकल प्रार्थीगण के वकील को दी गयी। वास्ते बहस जाहिर हेतु पत्रावली दिनांक 27-9-16 को पेश हो।	
27-9-16	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र व अंकित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। जबकि वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की मे जारी

मैं प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम मापाड़िया पटवार हलका बावलास तहसील मांडल में स्थित होकर सिवायचक दर्ज रेकार्ड थी। उक्त में से प्रार्थी को आराजी नं० 962 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा आवंटन की जाकर जारीये इतलानाम नम्बर 130 दिनांक 25-1-83 के द्वारा और खातेदारी में दर्ज करने के आदेश किये गये। जिसकी तार्ईद प्रस्तुत इतलानाम की नकल प्रमाणित प्रतिलिपि व जमाबंदी की नकल संवत 2043 से 2046 से होती है जिसमें प्रार्थी के नाम आराजी नं० 1045/966 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा दर्ज की गयी। जो गैर खातेदारी में दर्ज की गयी। तथा खातेदारी प्रदान की गयी। जिसकी तार्ईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल संवत 2063 से 2066 से होती है। तथा गिरदावरी से. प्रार्थी को दी गयी। प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी को ग्राम मापाड़िया तहसील मांडल में आराजी नम्बर 962 में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन हुई। आवंटन के पश्चात प्रार्थी को आराजी नं० 966 में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि गिरदावरी में दी गयी। तथा गिरदावरी नामा में आराजी नं० 962 के बजाय 966 ~~[illegible]~~ इन्द्राज कर दी गयी। तथा गैर खातेदारी से खातेदारी में प्रार्थी के नाम आराजी नं० 1045/966 2 बीघा 10 बिस्वा की तार्ईद दर्ज हो किन्तु प्रार्थी ने कोई एवं प्रमाण की तार्ईद में ऐसी दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। जिसके स्पष्ट नहीं है कि आराजी नं० पर प्रार्थी का कब्जा प्रमाणित होता हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थी जिसके आधार पर आराजी नं० परिवर्तन करावे

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का अधिकारी है प्रार्थी ने हाल ऐसी नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही साबित नक्शा भी प्रस्तुत ही किया। ऐसी स्थिति में दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत के अभाव में प्रार्थी किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध करने में असफल रहने से कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित समझता हूँ। अतः :: आदेश :: प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R. Act को सिद्ध करने में असफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	